

श्रीलोक गोरख, ५३१९, ३१/११/१६

फसल बीमा योजना में भाजपा की सरकारें ही सुरत

४-१९
५-०९

सुरत प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

सरकार की अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर भाजपा शासित राज्य ही पिछड़े रहे हैं। भाजपा के इक्का-दुक्का राज्यों ने इस दिशा में पहल की है। जबकि ज्यादातर गैर भाजपा शासित ने फसल बीमा योजना के लागू करने की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी केंद्र सरकार फसल बीमा योजना के लाभ जोर जोर से गिना रही है।

खरीफ सीजन से ही सरकार की नई फसल बीमा योजना पूरे देश में लागू होनी है। सूत्रों के मुताबिक उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ राज्यों ने

- ◆ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गैर भाजपा राज्य आगे
- ◆ भाजपा शासित झारखण्ड व छत्तीसगढ़ ने पहल की

सुरत भाजपा शासित राज्य

पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश

पहल करते हुए बीमा कंपनियों के साथ अनुबंध पूरा कर लिया है। भाजपा शासित हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में अभी तक फसल बीमा के लागू करने की प्रक्रिया

चुरत गैर भाजपा शासित राज्य

उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना



की शुरुआत भी नहीं हुई है।

पिछले सप्ताह सभी राज्यों के साथ कृषि मंत्रालय ने बैठक कर फसल बीमा योजना के लागू करने में आगे वाली मुश्किलों की जानकारी ली थी। बैठक में पंजाब जैसे राज्य

ने हिस्सा लेना भी मुनासिब समझा। सूत्रों का

कहना है कि पंजाब में फसल बीमा योजना के लागू होने पर संदेह है। हरियाणा ने बैठक में लामो तो भरो, लेकिन वहां उसकी तैयारियां शुरू तक नहीं हो सकी हैं। राजस्थान को अपनी पुरानी फसल बीमा योजना को संशोधित करने में मुश्किलें पेश आ रही हैं।

बैठक के दौरान राज्य के प्रतिनिधि ने योजना की जस का तस लागू करने के लिए कैबिनेट की मजूरी लेने की जरूरत बताई है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी कानूनी प्रक्रिया के चलते योजना की गति धीमी चल रही है।

झारखण्ड और छत्तीसगढ़ जैसे भाजपा शासित राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हो चुकी है। वहां बीमा करने वाली कंपनियों के साथ सरकार का अनुबंध हो चुका है। जबकि बैठक के दौरान पश्चिम

बंगाल सरकार ने फसल बीमा योजना के

लागू करने की जानकारी दी और बताया कि किसानों से ली जाने वाली बीमा प्रीमियम की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। मध्य प्रदेश में प्रक्रिया जारी है, लेकिन वहां कंपनियों के साथ करार करने के लिए टेंडर जारी नहीं हो सका है।

दिल्ली प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार की ओर से कई रिमाइंडर भेजे गये हैं, ताकि वहां फसल बीमा योजना लागू हो सके। लेकिन राज्य सरकार से कोई जवाब प्राप्त नहीं हो सका है। पिछले दो सालों से सूखे की चपेट में रहने वाले उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को लेकर सरकार बहुत चिंतित है। उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि ने बैठक में स्पष्ट किया कि उनके यहां प्रक्रिया जारी है। फसल बीमा योजना लागू करने में कोई कोताही नहीं की जाएगी।

श्रीलोक गोरख, ५३१९, ३१/११/१६